Ref. No.: ISC/48/2025-26 Date: 24.05.2025

The Vice President National Stock Exchange of India Limited “Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400 051. **NSE Symbol : INDIANB**	The Vice President BSE Limited Phiroze Jeejibhai Towers Dalal Street Mumbai - 400 001. **Scrip Code: 532814**

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Notice of 19th Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled to be held on Tuesday, the 17th June 2025

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of Notice of 19th Annual General Meeting of the Bank scheduled to be held on Tuesday, the 17th June 2025.

This is for your information, record and dissemination please.

Yours faithfully,

For Indian Bank

DINA NATH KUMAR

Digitally signed by DINA NATH KUMAR
DN: st=TAMIL NADU, serialNumber=f9e22b8c1b4cbe397ea154974bb1f6e21a396ec0948def3bce4111484c37a148, postalCode=600014, ou=INVESTOR SERVICE CELL, o=INDIAN BANK, c=IN, cn=DINA NATH KUMAR
Date: 2025.05.24 22:59:38 +05'30'

AGM & Company Secretary

Encl: A/a

कॉर्पोरेट कार्यालय
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

Corporate Office
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai – 600 014

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

मंगलवार 17 जून 2025 को प्रातः 11.00 बजे

Tuesday, the 17th June 2025 at 11.00 a.m.

महत्वपूर्ण तिथियाँ

IMPORTANT DATES

19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय Date and Time of 19th Annual General Meeting (AGM)	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार 17 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (आईएसटी)** Tuesday, the 17th June, 2025 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Means (OAVM)
स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के लिए ई-मेल के माध्यम से अनुरोध भेजने की अंतिम तिथि Last date for sending e-mail request to get registered as a speaker	**गुरुवार**, 12 **जून** 2025 **(कार्य समय की समाप्ति)** Thursday, the 12th June 2025 (close of Business Hours)
बैठक की कार्यसूची मदों पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda items of the meeting.	**मंगलवार** 10 **जून 2025 (कार्य समय की समाप्ति)** Tuesday, the 10th June 2025 (close of Business Hours)
रिमोट ई-वोटिंग Remote E-Voting	**शुक्रवार, 13 जून 2025 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) से सोमवार, 16 जून 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक** From 09.00 a.m. (IST) on Friday, the 13th June 2025 to 5.00 p.m. (IST) on Monday, the 16th June 2025.
लाभांश के लिए अभिलिखित तिथि Record Date for Dividend	**मंगलवार, 10 जून, 2025 (कार्य समय की समाप्ति)** Tuesday, the 10th June 2025 (close of Business Hours)
वार्षिक लेखा बंदी तिथि Annual Book Closure Date	**बुधवार 11 जून 2025 से मंगलवार 17 जून 2025 (दोनों दिन सम्मिलित)** From Wednesday, the 11th June 2025 to Tuesday, the 17th June 2025 (both days inclusive)
लाभांश भुगतान तिथि Dividend Payment Date	**गुरुवार 10 जुलाई 2025** Thursday, the 10th July 2025

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260 अव्वै षण्मुगम सालै,

रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की 19वीं **वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 17 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे(आईएसडी)** को **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम)**, के माध्यम से निम्नलिखित कार्यव्यवसाय(यों) के संचालन हेतु आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्यव्यवसाय:

कार्यसूची मद संख्या 1 :

यथास्थिति 31 मार्च 2025 के बैंक के लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा, लेखे द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यप्रणाली एवं क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलनपत्र व लेखा संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन एवं अंगीकरण।

कार्यसूची मद संख्या 2 :

बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा।

विशेष कार्यव्यवसाय :

कार्यसूची मद संख्या 3 : श्री बिनोद कुमार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की नियुक्ति का अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के समय-समय पर यथा संशोधित अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना संदर्भ सं. ईएफ. सं. 4/4 (ii)/2023-बीओ.I के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति को 16.01.2025 से(कार्यभार ग्रहण करने की तिथि) तीन(3) वर्षों की अवधि हेतु या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

कार्यसूची मद संख्या 4 : श्री विश्वेश कुमार गोयल, बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)

अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना सं. 6/1(iii)/2024-बीओ.I दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री विश्वेश कुमार गोयल की नियुक्ति को दिनांक 11.04.2025 (अधिसूचना की तिथि) से एक (01) वर्ष की कालावधि हेतु या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है। "

कार्यसूची मद संख्या 5 : श्री बालमुकुंद सहाय, बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना सं. 6/1(iv)/2024-बीओ.I के माध्यम से बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री बालमुकुंद सहाय की नियुक्ति को दिनांक 11.04.2025 (अधिसूचना की तिथि) से एक (01) वर्ष वर्ष की कालावधि हेतु या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है। "

कार्यसूची मद सं. 6: मेसर्स षणमुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पांच साल की अवधि हेतु, बैंक के सचिवालयीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार, मेसर्स षणमुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज (फर्म पंजीकरण संख्या LLPIN:AAJ-0071) बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित, को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पांच साल की कालावधि के लिए बैंक के सचिवालयीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त जाए और एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है ।

कार्यसूची मद संख्या 7 : क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से कुल रु.5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाया जाना ।

निम्नलिखित संकल्प(पों) को विचार करना और यदि उचित पाया जाए तो विशेष संकल्पके रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (" योजना") और इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 ("विनियम") समय-समय पर यथासंशोधित, उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक

("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे अनुमोदन के लिए उनके द्वारा निर्धारित निबंधनों, शर्तों एवं उनमें परिसंशोधनों के अधीन, जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो और विनियमों अर्थात्- सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") यथा अद्यतन संसोधित/आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों और/तथा अन्य सभी प्रयोज्य विधियों और समय-समय पर अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित, के प्रावधानों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जानेवाली समिति को शामिल माना जाएगा) को दी जाती है कि वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत की सीमा के अंदर कुल रु.5000 करोड़ (रुपये पांच हजार करोड़ मात्र) तक रु.10.00 प्रति के अंकित मूल्य या प्रतिभूतियों/शेयरों को जारी करते समय प्रचलित/निर्धारित अंकित मूल्य का उस संख्या में इक्विटी शेयर भारत या विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/सूचीपत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज के जरिये सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन इस प्रकार करे (उस समय प्रयोज्य विधि द्वारा यथा अनुमत निर्गम के ऐसे भाग और ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/अथवा प्रतिस्पर्धी आधार संबंधी आरक्षण के प्रावधान सहित) कि भारत सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00% से कम धारण नहीं करेगी, चाहे प्रीमियम पर या बाजार मूल्य में छूट पर, एक या अधिक शृंखलाओं में, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं ("क्यूआईबी") यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ("एफपीआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं, अथवा अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों या अन्य श्रेणी के निवेशकों जो मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं या उपर्युक्त का संयोजन के रूप में जैसा बैंक द्वारा उचित समझा जाए, सहित हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन इसके अधिक आबंटन के विकल्प सहित या तो रहित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू के रूप में या इनके संयोजन के रूप में होगा और यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों और आरबीआई, सेबी और संबंधित अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय पर इस प्रकार से और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे, किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे मूल्य या मूल्यों पर निर्णय लेने का प्राधिकार होगा कि वह इस प्रकार से और जहां भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों या अन्यथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर बोर्ड अपने विवेकाधिकर से सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों, कोई अन्य या सभी प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक है अथवा नहीं, ऐसे मूल्य पर जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के संगत उपबंधों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम न हो, का निर्णय ले सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, के उपबंधों, इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के उपबंधों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के उपबंधों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) यथा संशोधित नियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), उद्योग नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों (जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से "समुचित प्राधिकरण" कहा गया है) से अपेक्षित अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/अथवा मंजूरी के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/अथवा मंजूरियां (जिन्हें आगे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा गया है) प्रदान करते समय इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन, बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत यथा उपबंधित, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के आधार पर क्यूआईबी (सेबी आईसीडीआर विनियम में यथा परिभाषित) के लिए दस्तावेज और/अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज/राइटिंग/परिपत्रों/ज्ञापनों आदि के माध्यम से और सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय प्रचलित विधि के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्य, निबंधनों और शर्तों पर, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में इक्विटी शेयर या वारंटों से इतर प्रतिभूतियों का सृजन, निर्गम, प्रस्ताव और आबंटन कर सकता है, जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हो, इस प्रकार से कि केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00% से कम धारण न करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के मामले में:

क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियम के अन्तर्गत परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा।

ख) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के परंतुक के अनुसरण में बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम में यथानिर्धारित न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम पांच प्रतिशत तक छूट के साथ शेयरों को प्रस्तावित करने हेतु प्राधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को प्रस्ताव में स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का एनआरआई, एफआईआई, एफपीआई और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथा प्रयोज्य आरबीआई के अनुमोदन के अधीन किंतु अधिनियम में निर्धारित समग्र सीमाओं के अंदर होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए शेयर इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999, यथासंशोधित के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे

तथा किसी भी समय घोषित किए जाने वाले तथा ऐसी घोषणा के समय प्रभावी एवं मौजूदा सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश के पात्र होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम/आबंटन को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों के साथ-साथ निवेशकों के वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, और ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और करारों का निष्पादन करने जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम की आय के उपयोग के संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और बैंक के सर्वोत्तम हित में, शेयरधारकों से अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, अपने विवेकानुसार जैसा उचित और ठीक समझे, निबंधनों और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, भिन्नताओं, फेरबदल, विलोपन, वृद्धि को स्वीकार और प्रभावी करने और इस संकल्प के तहत बैंक को प्रदत्त सभी या किसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड प्राधिकृत किया जाए है एवं एतदद्वारा किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड, ऐसी समस्त व्यवस्थाओं के लिए किसी मर्चेंट बैंकर(रों), बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), विधि सलाहकार(रों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो इस प्रकार के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम प्रस्ताव में निहित अथवा संबद्ध हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादन करने, और ऐसी समस्त संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क अथवा तत्समान किसी स्वरूप में पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ भी ऐसी सभी व्यवस्थाएं, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए एवं एतद्द्वारा किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, मर्चेंट बैंकर(रों), बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), विधि सलाहकार(रों), हामीदार(रों), और/अथवा अन्य व्यक्तियों जो कि बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हों, के परामर्श से निर्गम(मों) के स्वरूप एवं शर्तो का निर्धारण, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग, जिसे शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंटों का प्रयोग/प्रतिभूतियों के निर्मोचन, ब्याज दर, निर्मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा निर्मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, अभिलिखित तिथि अथवा बही बंदी का निर्धारण और संबद्ध एवं आनुषांगिक मामले, भारत और/अथवा विदेश में एक या अधिक स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता जैसा कि बोर्ड द्वारा विवेकानुसार उचित समझा जाए, भी सम्मिलित है, करने हेतु प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयरों को जो कि सब्सक्राइब नहीं हुए हों, बोर्ड द्वारा अपने विवेकाधिकार से, जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए तथा विधि अनुसार यथा अनुज्ञेय, निष्पादित किया जा सकेगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसा आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात, जिसे वह अपने विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की

और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इन संकल्पों के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प(पों) को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियां बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी(रियों) को, जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु बोर्ड प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.अ.

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 20 मई, 2025

(बिनोद कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

1- व्याख्यात्मक विवरण :

बैठक के कार्यव्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करनेवाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह सूचना का हिस्सा है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विज़ुअल साधन के माध्यम से वार्षिक आम बैठक का संचालन ("ई-एजीएम"):

ए) वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठकें कराने के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की एजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों/शेयरधारकों की भौतिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। एजीएम के लिए विचारणीय स्थान चेन्नै में स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा।

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

सी) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध करेगा ।

डी) सेबी एवं एमसीए परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in, स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, अतएव, सचिवालयीन मानक 2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं है ।

एफ) भौतिक मोड में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इस लिंक https://investors.cameoindia.com पर क्लिक करके अपनी ई-मेल आईडी को अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं और इस प्रयोजनार्थ अनुरोध भेजकर एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते है।

3. <u>मतदान अधिकार :</u>

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक**, मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्ययक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रजिस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को मतदान किए जाने का एकल अधिकारी माना जाएगा।

4. **<u>प्रॉक्सी की नियुक्ति :</u>**

चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों/शेयरधारकों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अतः मौजूदा एमसीए/सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राक्सियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, एजीएम में शेयरधारकों द्वारा प्राक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इस प्रकार प्राक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत इस एजीएम सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

5. **<u>प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :</u>**

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2 - सी, द्वितीय तल, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन कॉपी ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति investors@indianbank.co.in को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले तक अर्थात 13 जून, 2025 को कार्य-समय की समाप्ति अर्थात् सायं 05.00 बजे तक या उससे पूर्व भेजा जाता है।

6. **<u>अभिलिखित तिथि और बही बंदी :</u>**

लाभांश भुगतान हेतु अभिलिखित तिथि **मंगलवार, 10 जून, 2025** होगी।

19वीं एजीएम और लाभांश भुगतान के निमित्त बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर संचरण बहियाँ **बुधवार, 11 जून 2025 से मंगलवार, 17 जून 2025** तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

7. **<u>लाभांश का भुगतान :</u>**

वार्षिक आम बैठक में, यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो उसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम :

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, **मंगलवार, 10 जून, 2025** को कार्य समाप्ति पर एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शेयरधारकों की सूची में लाभार्थी स्वामियों के रूप में शामिल हों तथा/अथवा

बी) भौतिक रूप में रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, शेयरधारकों से प्राप्त वैध संचरण अनुरोध को प्रभावी करने के पश्चात **मंगलवार, 10 जून, 2025** को शेयरधारकों की पंजिका में शामिल हों।

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश को जमा करने का विकल्प नहीं दिया है, उन्हें लाभांश के भुगतान तिथि से पहले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात- मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड के जरिए लाभांश वारंट भेजा जाएगा।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने एनएसीएच/इलेक्ट्रानिक रूप से जमा के माध्यम से लाभांश को अपने खाते में जमा करने का विकल्प दिया है, उनका लाभांश एनएसीएच के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। एनएसीएच निष्फल / वापस होने की स्थिति में संबंधित शेयरधारकों को लाभांश वारंट जारी किया जाएगा।

लाभांश का भुगतान भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन/निर्देश के अधीन है। लाभांश भुगतान की तिथि **10 जुलाई 2025** होगी।

8. <u>भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (शेयर प्रमाणपत्र):</u>

07 मई 2024 के सेबी मास्टर सर्कुलर सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / पीओडी-1 / पी / सीआईआर / 2024 / 37 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन और मोबाइल नंबर के साथ डाक पता), बैंक खाते का विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । इसके अलावा 01.04.2024 से, ऐसे शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात् सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

उन शेयरधारकों को, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं (शेयर प्रमाणपत्र) और सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज, यानी उचित बैंक विवरण, पैन, केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण जमा नहीं किए हैं, उन्हें लाभांश भुगतान की तारीख पर, लाभांश का भुगतान किया गया माना जाएगा, हालांकि, लाभांश राशि बैंक के लाभांश खाते में तब तक जमा रहेगी जब तक कि उचित बैंक विवरण सहित संपूर्ण दस्तावेज/विवरण शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज़ और नामांकन विवरण बैंक/बैंक के आरटीए द्वारा प्राप्त हो जाने पर, लाभांश सीधे संबंधित शेयरधारक के बैंक खाते में विप्रेषित कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द बैंक/बैंक के आरटीए को समुचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करें, ताकि, उनका लाभांश, लाभांश भुगतान तिथि पर ही उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सके।

9. <u>लाभांश संबंधी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) :</u>

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में परिवर्तन के अनुसार, लाभांश के रूप में प्राप्त आय पर शेयरधारकों द्वारा देय है और शेयरधारकों को निर्धारित दरों पर लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत (टीडीएस) पर बैंक द्वारा कर कटौती की जानी है। कर कटौती/कर रोक की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और अधिनियम में उल्लिखित छूट के आधार पर अपेक्षित दस्तावेजों को मुहैया कराने के अधीन अलग-अलग होगी।

टीडीएस कटौती में छूट का दावा करने के लिए कर योग्य सीमा से कम कुल आयवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे फॉर्म 15जी (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए लागू)/15एच (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लागू) को बैंक को ई-मेल investors@indianbank.co.in या बैंक की आरटीए की ई-मेल आईडी investor@cameoindia.com /agm@cameoindia.com पर भेजें।

कृपया ध्यान दें कि कर निर्धारण/कटौती से संबंधित किसी भी पत्राचार/दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह बैंक को कार्यसमय क समय की समाप्ति अर्थात **30 जून 2025 को सायं 5.00 बजे** तक या उससे पहले प्राप्त नहीं होता है।

10. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :

चूंकि बैठक वीसी/ओवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है अतः एजीएम में सहभागिता के लिए उपस्थिति पर्ची सह-प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट के साथ पत्राचार :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस (इलेक्ट्रानिक समाशोधन पद्धति) अधिदेश आदि हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) को निम्न पते पर संपर्क करें :-

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
(यूनिट: इंडियन बैंक)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग
नं -1, क्लब हाउस रोड,
चेन्नै 600 002
टेलीफोन - 044 - 28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)
ईमेल : investor@cameoindia.com या cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

महाप्रबंधक - मुख्य वित्त अधिकारी इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 दूरभाष : 044-28134563 ई-मेल : cfo@indianbank.co.in	सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 दूरभाष : 044-28134698 ई-मेल : investors@indianbank.co.in

12. <u>अदत्त/अदावी लाभांश, यदि हो, तो :</u>

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार, वह राशि जो अदत्त/अदावी लाभांश खाता में अंतरित की गई है और ऐसे अंतरण की तिथि से वह सात वर्षों के लिए अदत्त/अदावी हो, तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205 सी/125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुक्रम में, उनके पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए दिनांक 21.05.2014 के अनुसार, बैंक की लाभांश राशि जो सात वर्षों के लिए अदत्त/अदावी रही, तो उसे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुपालन में केंद्र सरकार के "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित किया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश का लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है, उनसे आग्रह है कि वे एनईएफटी/सीधे अंतरण के माध्यम से अपने अदत्त लाभांश वारंट की रकम के विप्रेषण के लिए अपने बैंक विवरण के साथ रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं-1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै- 600 002 के पास अपना वैध दावा दर्ज करें। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उन सभी शेयरों को अंतरित करेगा, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट विवरणों वाले विवरण भी होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावी या अदत्त धनराशि हो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित कर दी गयी है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण का दावा करने का हकदार होगा।"

अदत्त अदावी लाभांश वारंटों का विवरण बैंक की साइट/www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

13. <u>पता/बैंक ब्योरा/बैंक खाता में परिवर्तन</u>

ए) लाभांश का भुगतान, यदि कोई घोषित किया गया हो, करने हेतु एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते के ब्यौरे संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किया जाता है।

तदनुसार, शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर इलेक्ट्रानिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन कराएं। इंडियन बैंक अथवा इसके आरटीए इलेक्ट्रानिक रुप में रखे शेयरों/डीमैट खाते के धारकों के बैंक विवरणों अथवा बैंक मैंडेट या पंजीकृत पते में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां उनका डीमैट खाता है, को संपर्क करें।

बी) शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर भौतिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएँ लिमिटेड को उनके ऊपर उल्लिखित पते पर औपचारिक अनुरोध भेजें :

(i) पते में परिवर्तन के लिए- वैध दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन।

(ii) बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए- प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन के साथ रद्द किए गए चेक जिस पर खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड और नाम मुद्रित हो।

सी) बैंक अथवा बैंक के आरटीआए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखने के मामले में शेयरधारक संबंधित फोलियो क्रमांक तथा इलेक्ट्रानिक (डीमैट खाते) रूप में शेयर रखने के मामले में डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

14. <u>रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोगः</u>

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में उपस्थित रहने व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई-मतदान के जरिये अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के मताधिकारों का निर्धारण **मंगलवार, 10 जून, 2025** (इस उद्देश्य हेतु निर्धारित तिथि) को उनके द्वारा धारित शेयरों के आधार पर किया जाएगा।

15. <u>एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण :</u>

सेबी और एमसीए के मौजूदा परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार 19वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी, बल्कि, इनकी प्रतियां उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिनके ईमेल पते बैंक के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं।

एजीएम नोटिस और वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in ई-वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

16. <u>भौतिक शेयर धारण का अमूर्तीकरण :</u>

सेबी के मौजूदा मानदंडों के अनुपालन में, बैंक भौतिक रूप में रखे शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा। भौतिक या अभौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का आगे संचरण/स्थानांतरण केवल अमूर्तीकृत रूप में किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों से बचने के लिए अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें। शेयरों

के अमूर्तीकरण से तरलता में भी वृद्धि होती है तथा शेयरधारक अपने डीमैट खाते से जुड़े डीमैट ट्रेडिंग खाते के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार शेयरों को बेच सकेंगे।

भौतिक शेयरों (शेयर प्रमाणपत्र) के अमूर्तीकरण के लिए निर्देशात्मक प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(ए) शेयरों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में अमूर्त (डीमैट) रूप में रखा जा सकता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी हैं जहां निवेशक/शेयरधारक के शेयर/प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के माध्यम से रखी जाती हैं।

(बी) शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए, शेयरधारक को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या डीमैट सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंक में एक डीमैट खाता खोलना होगा। हमारा बैंक अपनी अनुषंगी इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईबीएमबीएस) के माध्यम से डीमैट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईबीएमबीएस की वेबसाइट www.indbankonline.com पर लॉग ऑन करें।

(सी) डीमैट खाता खोलने के बाद, शेयरधारक को अपने डीपी, जिसके साथ उन्होंने अपना डीमैट खोला है, को भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जमा करना होगा।

(डी) संबंधित डीपी अमूर्तिकरण अनुरोध को संसाधित करेगा और दस्तावेजों के सत्यापन पूरा होने के बाद, संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के अनुसार शेयरों की संख्या संबंधित शेयरधारक के डीमैट खाते में जमा हो जाएगा।

17. ई-मतदान हेतु संवीक्षक :

एजीएम के दौरान में रिमोट ई-मतदान और मतदान को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु बैंक ने मेसर्स एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

18. ई-मतदान की प्रक्रिया एवं प्रविधि:

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सेस।

चरण 1: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एक्सेस।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन)- **<u>कार्यसूची मद संख्या 1:</u>** यथास्थिति 31 मार्च 2025 को बैंक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एवं क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व लेखे पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श , अनुमोदन एवं अंगीकरण। **<u>कार्यसूची मद संख्या 2:</u>** बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। **<u>कार्यसूची मद संख्या 3:</u>** बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति का अनुमोदन **<u>कार्यसूची मद संख्या 4:</u>** बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक श्री विश्वेश कुमार गोयल की नियुक्ति का अनुमोदन **<u>कार्यसूची मद संख्या 5:</u>** बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक श्री बालमुकुंद सहाय की नियुक्ति का अनुमोदन **<u>कार्यसूची मद संख्या 6:</u>** मेसर्स षण्मुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पांच साल की अवधि, हेतु बैंक के सचिवालयीन लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन। **<u>कार्यसूची मद संख्या 7:</u>** क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से रु.5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाया जाना ।	**250514004**

(ए) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **मंगलवार, 10 जून, 2025** (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर के अनुसार होंगे।

(बी) मतदान की अवधि **शुक्रवार, 13 जून 2025 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर सोमवार, 16 जून 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास निर्धारित तिथि अर्थात 10 जून, 2025 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सी) ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, जो शेयरधारक बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर चुके है, वे बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(डी) सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

(i) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-

वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

(ii) वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करनेवाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

(iii) सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से एकल लॉगइन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना आसान और सुविधायुक्त बनाएगी।

(ई) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यगित शेयरधारकों को उनके डीमैट खाता डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण कर, डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यगित शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार	**लॉगइन विधि**
सीडीएसएल डिपॉजिटरी में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजियेस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/इजियेस्ट में लॉगइन करने के लिए यूआरएल www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और माईईजी न्यू (टोकेन) टैब चुनें। 2) सफल लॉगइन के बाद ईजी/इजियेस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे । इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लिंक भी प्रदान किया गया है, ताकि, उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके।

	3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़िएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है। लॉगिन और माइइजी न्यू (टोकेन) टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक में डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता, जहां वोटिंग चल रही है, उसके लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को सीधे एक्सेस भी कर सकेंगे।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) यदि प्रयोक्ता पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं और पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज खुलने के बाद 'आइडीएएस' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। प्रयोक्ता को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और प्रयोक्ता ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो प्रयोक्ता को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा। 2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “आईडीईएएस पोर्टल के लिए रजिस्टर ऑनलाइन" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार प्रयोक्ता को अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में रखे आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद प्रयोक्ता को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा, जहां प्रयोक्ता ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी/बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि

	के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** के माध्यम से लॉगइन करें	प्रयोक्ता ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता को सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख पाएंगे। कंपनी/बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना: *जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।*

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यगित शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण :

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

(एफ) ई-वोटिंग और डीमैट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि:

- शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
- "शेयरहोल्डर" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- अब अपने यूजर आईडी को प्रविष्ट करें।
    - सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
    - एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
    - भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
- छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

- यदि आप डीमैट रूप में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी/बैंक के मतदान में शामिल हुए है, तो आप मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए व्यक्तियों को छोड़कर
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फ़ा-न्यूमरिक 10 अंकों वाला अपना पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) जिन शेयरधारकों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट में अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक/आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी/बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक में दर्ज नहीं हैं, तो लाभांश बैंक विवरण फील्ड में शेयरधारक आईडी/फोलियो संख्या दर्ज करें।

- इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड सृजन" के मेन्यु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्ट करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जरिए ई-मतदान का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित संकल्पों पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- संबंधित <कंपनी/बैंक का नाम> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- वोटिंग पेज पर आप "रिसोल्युशन डिस्क्रिपशन" का वर्णन" पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "एस/नो " विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "एस " या "नो" का चयन करें। "एस" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नो" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो " रिसोल्युशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर

क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।

- आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टिकृत" कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।

यदि डीमैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और अभिरक्षक के लिए सुविधा- रिमोट ई-वोटिंग

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से अन्य) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और खुद को 'कोर्पोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।
- लॉगइन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप हो जाएगी और गलत मैपिंग के मामलों में डिलिट हो जाएगी।
- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा(पीओए) की एक स्कैन प्रति, जो उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा investors@indianbank.co.in पर भेजा जाना अपेक्षित है, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से मतदान किया है और संवीक्षक द्वारा जांच के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है।

19. <u>एजीएम में /के दौरान मतदान</u>

कार्यसूची मदों पर चर्चा के उपरांत बैंक कार्यसूची मद(दों) के संबंध में मतदान शुरू कराएगा । यह मतदान इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व पर्यवेक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम से बैठक में शामिल होनेवाले शेयरधारक/अधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि, जो वे शेयरधारक रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान कर चुके हैं वे बैठक के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया में दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

20. <u>एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:</u>

ए) एजीएम के दिन बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।

बी) नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर कम से कम जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समित, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

सी) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगइन के बाद बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

डी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ई) शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में जुड़ने हेतु लैपटाप/आई पैड का इस्तेमाल करें।

एफ़) इसके अतिरिक्त बाधारहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इंटरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।

जी) मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटाप का उपयोग करनेवाले, कृपया नोट करें कि संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपर्युक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनैक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।

एच) यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं तो, वे **12 जून, 2025** तक या उससे पहले investors@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वैसे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं, किन्तु वे उन्हें एजीएम के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह **12 जून, 2025 तक या उससे** पहले कंपनी की ई-मेल आईडी पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें भेजे। बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ई-मेल द्वारा दिये जाएंगे।

आई) **जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप पंजीकृत किया है केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।**

जे) केवल वे शेयरधारक, जोकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-मतदान के माध्यम से कार्यसूची मदों/संकल्पों पर मतदान नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-मतदान हेतु पात्र होंगे।

के) उन शेयरधारकों, जिन्होंने एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, किन्तु वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होने वाली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, के मतों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित रहनेवाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।

एल) कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनका ईमेल/मोबाइल नं. बैंक/डिपॉजिटरी के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।

ए) भौतिक शेयरधारकों हेतु - कृपया अपना आवश्यक विवरण यथा - फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आरटीए को **ईमेल आईडी** investor@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा भेजें।

बी) डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें।

सी) वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें, जो डिपॉजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपके पास एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 18002109911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट की सुविधा से जुडी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम, जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर संपर्क किया जा सकता है।

21. एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान और ई-मतदान के परिणाम:

रिमोट ई-मतदान के परिणामों को बैठक में ई-मतदान के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा, जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

<u>व्याखयात्मक विवरण:</u>

<u>कार्यसूची मद संख्या 3 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति का अनुमोदन</u>

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. ईएफ. सं. 4/4 (ii)/2023-बीओ.। दिनांक 16 जनवरी 2025 के माध्यम से श्री बिनोद कुमार , कार्यपालक निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में 16.01.2025 के प्रभाव से तीन(3) वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

श्री बिनोद कुमार ने 16 जनवरी 2025 के प्रभाव से बैंक के एमडी एवं सीईओ का पदभार ग्रहण किया है।

<u>श्री बिनोद कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संक्षिप्त प्रोफाइल :</u>

श्री बिनोद कुमार ने रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की है और एनआईबीएम से बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। आप जीएआरपी (यूएसए) से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर (एफआरएम) एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट सदस्य भी हैं। श्री बिनोद कुमार ने आईआईबीएफ से ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन तथा बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा प्राप्त किया है और आपने आईआईएम बैंगलोर से लीडरशिप स्किल डेव्लपमेंट कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।

श्री बिनोद कुमार ने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1994 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की थी और 21.11.2022 को आपको पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रोन्नत किया गया।

आपको 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध बैंकिंग अनुभव प्राप्त है, जिसमें शाखा और प्रशासनिक कार्यालय से लेकर जोखिम प्रबंधन, ऋण आदि शामिल हैं। आपने दुबई स्थित पीएनबी की शाखा बीओ : डीआईएफसी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नेतृत्व किया है और पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है।

आपने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से नामित निदेशक के रूप में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तथा इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसाआरसी) के निदेशक मंडल में भी सेवा प्रदान की है।

श्री बिनोद कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पारिश्रमिक / क्षतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित है।

श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ, केवल एक सूचीबद्ध इकाई **अर्थात** इंडियन बैंक में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1 सी) के अनुसरण में , बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति का अनुमोदन बैंक के शेयरधारकों से सामान्य संकल्प के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

बैंक में उनकी कोई शेयरधारिता ,यदि कोई हो , की सीमा तक श्री बिनोद कुमार और उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदारों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का एजीएम की संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित सामान्य संकल्प में कोई दिलचस्पी या स्वार्थ निहित नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 4: बैंक के अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक श्री विश्वेश कुमार गोयल की नियुक्ति का अनुमोदन

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या ईएफ. संख्या 6/1 (iii) / 2024- बीओ.I दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा श्री विश्वेश कुमार गोयल को अधिसूचना की तिथि अर्थात 11.04.2025 से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया है।

श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक ने 11 अप्रैल 2025 अर्थात अधिसूचना की तिथि से पदभार ग्रहण किया ।

श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का संक्षिप्त परिचय

श्री विश्वेश कुमार गोयल, हमारे बैंक में तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 21 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2024 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रहे हैं। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उन्हें दिनांक 11.04.2025 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए हमारे बैंक के अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया है।

आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं एवं आपने मेरठ विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त की है।

आपको प्रत्यक्ष कराधान, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन परामर्श, विधिक राय, प्रवासी कराधान आदि क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। आपको एश्योरेंस सेवाओं का भी व्यापक अनुभव है तथा आपने विभिन्न उद्योगों में सूचीबद्ध भारतीय और बहुराष्ट्रीय संस्थानों को सेवाएं प्रदान की हैं।

आपने विभिन्न जीएएपी (यूएसजीएएपी, आईएफआरएस, आईएनडी एस आदि) के अंतर्गत कार्य किया है। आप प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक न्यासी हैं।

आप प्रत्यक्ष कराधान, प्रशिक्षण और अन्य प्रेरक कार्यक्रमों से संबंधित सार्वजनिक सेमिनारों में सक्रिय भागीदारी करते हैं।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक होने के कारण, बैंक द्वारा श्री विश्वेश कुमार गोयल को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है।

श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, केवल एक सूचीबद्ध संस्था अर्थात् इंडियन बैंक में निदेशक हैं।

सेबी(सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक के अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक श्री विश्वेश कुमार गोयल की नियुक्ति का अनुमोदन बैंक के शेयरधारकों से सामान्य संकल्प के माध्यम से मांगा गया है ।

श्री विश्वेश कुमार गोयल या बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक उनके रिश्तेदारों, यदि कोई हो, के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का संबंध या स्वार्थ , एजीएम की संलग्न सूचना के मद संख्या 4 में दिए गए साधारण प्रस्ताव से नहीं है।

<u>कार्यसूची मद संख्या 5: बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री बालमुकुंद सहाय की नियुक्ति का अनुमोदन</u>

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या ईएफ. संख्या 6/1(iv)/2024- बीओ.I दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा श्री बालमुकुंद सहाय को अधिसूचना की तिथि अर्थात् 11.04.2025 से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक ने 11 अप्रैल 2025 अर्थात अधिसूचना की तिथि से पदभार ग्रहण किया है।

<u>श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का संक्षिप्त परिचय</u>

श्री बालमुकुंद सहाय हमारे बैंक में तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 21 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2024 तक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रहे हैं। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2025 द्वारा श्री बालमुकुंद सहाय को अधिसूचना की तिथि अर्थात् 11.04.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया है।

श्री बालमुकुंद सहाय ने रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

आप वर्ष 2001 से 2004 तक झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण के सक्रिय सदस्य रहे हैं और वर्ष 2016 से 2019 तक झारखंड राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्य रहे हैं। झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में आपकी भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने की थी।

आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और झारखंड राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में आपने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त, गरीबी उन्मूलन एवं लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना भी आपकी प्रमुख रुचि के क्षेत्र रहे हैं।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक होने के कारण, बैंक द्वारा श्री बालमुकुंद सहाय को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति नहीं दिया जा रही है।

श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, केवल एक सूचीबद्ध संस्था अर्थात इंडियन बैंक में निदेशक हैं।

सेबी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री बालमुकुंद सहाय की नियुक्ति का अनुमोदन बैंक के शेयरधारकों से सामान्य संकल्प के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

श्री बालमुकुंद सहाय या बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक उनके रिश्तेदारों, यदि कोई हो, के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का संबंध या स्वार्थ , एजीएम की संलग्न सूचना के मद संख्या 5 में दिए गए सामान्य संकल्प से नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 6: वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवालयीन लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स षण्मुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को नियुक्त करना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 24ए (1) (ए) के अनुसरण में, भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई और उसकी महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनियों को एक सचिवालयीन लेखा परीक्षक द्वारा सचिवालयीन लेखा परीक्षा कराना आवश्यक है, जो एक समकक्ष समीक्षा प्राप्त कंपनी सचिव होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रारूप में सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगा।

भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना सीजी-एमएच-ई-13122024-259393 दिनांक 12.12.2024 द्वारा सचिवालयीन लेखापरीक्षा से संबंधित विनियमन 24ए सहित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों में संशोधन किया गया।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में अपने शेयरधारकों के अनुमोदन से अपने निदेशक मंडल की सिफारिश पर निम्नलिखित की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की जाएगी :

(i) किसी व्यक्ति को सचिवालयीन लेखा परीक्षक के रूप में लगातार पांच वर्षों की एक कार्यकाल से अनधिक के लिए नियुक्त करना; या
(ii) सचिवालयीन लेखा परीक्षा फर्म को सचिवालयीन लेखा परीक्षक के रूप में लगातार पांच वर्षों के दो कार्यकाल से अनधिक के लिए नियुक्त करना

तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने 19.05.2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स षण्मुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पांच साल के कार्यकाल के लिए रु. 8,50,000.00 (जीएसटी छोड़कर), लागू कर रहित (प्रथम वर्ष की फीस रु.1,40,000 + लागू कर) के समेकित शुल्क/पारिश्रमिक पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, जो वार्षिक आधार पर देय है तथा एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है, बैंक के सचिवालयीन लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है ।

मेसर्स षण्मुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी को कॉर्पोरेट कानून, प्रतिभूति कानून, बैंकिंग, एनबीएफसी, फेमा आदि में व्यापक अनुभव है। सेवाओं की श्रेणी में कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट और धारा 8 कंपनियों का निगमन, व्यापार रणनीतियां, व्यापार पुनर्गठन / पुनर्संरचना, परामर्श और सलाहकार सेवाएं, सभी वैधानिक अनुपालन, सचिवालयीन लेखा परीक्षा, सम्यक सावधानी, कंपाउंडिंग के लिए एनसीएलटी आवेदन, डीपी लेखापरीक्षा, कॉर्पोरेट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

सचिवालयीन लेखा परीक्षक की निरंतरता उसके संतोषजनक कार्यनिष्पादन पर निर्भर करेगी और बैंक, सचिवालयीन लेखा परीक्षक के कार्यनिष्पादन की वार्षिक समीक्षा करेगा। यदि सचिवीय लेखा परीक्षक का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है, तो बैंक को सचिवालयीन लेखा परीक्षक को पदच्युत करने का अधिकार है।

बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को वार्षिक आम बैठक की सूचना की मद संख्या 6 में उल्लिखित सामान्य संकल्प से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 7: क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से कुल रु. 5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाना

ए) बैंक के विकास को बल प्रदान करने तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियमों का अनुपालन करने के लिए पूंजी की सतत आवश्यकता है।

बी) बैंक के निदेशक मंडल ने 3 मई 2025 को संपन्न अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य अपेक्षित सांविधिक/वीनियामक अनुमोदन के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की बैंक की इक्विटी पूंजी जुटाने का अनुमोदन किया।

सी) तदनुसार, बैंक बाजार की मौजूदा स्थिति के आधार पर क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव करता है।

ड़ी) उपर्युक्तानुसार, इक्विटी पूंजी को भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, सेबी आईसीडीआर विनियम में यथानिर्धारित अन्य प्राधिकरणों से विधिवत अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी और यह सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों/ विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के अनुपालन में होंगे।

ई) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केंद्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का बावन प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगी।

एफ) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 41(4) के अनुसार जब कभी बैंक द्वारा कोई निर्गम या प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जब तक कि शेयरधारक द्वारा आम बैठक में अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाए। उक्त संकल्प, यदि पारित होता है तो इससे बैंक की ओर से बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात में उपलब्ध कराने की बजाए अन्यथा रुप में प्रतिभूतियां निर्गम और आबंटित करने की अनुमति मिल जाएगी।

जी) यह संकल्प बैंक को फॉलो ऑन सार्वजनिक निर्गम, और/या निजी स्थानन आधार या भारत सरकार/आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यम से इक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने में सक्षम बनाने की अनुमति चाहता है। इस निर्गम की आगम राशि से बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी औरयह बैंक के लिए विकासात्मक पूँजी होगी।

एच) यह संकल्प निदेशक मंडल को आईसीडीआर विनियम द्वारा यथापरिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं से अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के लिए समर्थ बनाती है। निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि अर्जन करने हेतु शेयरधारकों से फिर से अनुमोदन लिए बिना आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपना सकता है।

आई) सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI की शर्तों के अनुसार , स्वविवेकानुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम "संगत तिथि" से पिछले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तुत शेयरों के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न अंतिम मूल्यों के औसत से अनधिक मूल्य पर किया जा सकता है। "संगत तिथि" से उस बैठक तिथि का तात्पर्य है जिसमें बैंक बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है।

जे) प्रस्ताव के लिए विस्तृत निबंधनों और शर्तों का निर्धारण मौजूदा बाजार स्थितियों और अन्य विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से किया जाएगा ।

के) चूंकि प्रस्ताव का मूल्य परवर्ती चरण पर किए जाने के सिवाय नहीं किया जा सकता है, अतः जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि, यह मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 समय-समय पर यथासंशोधित या अन्य प्रयोज्य या अपेक्षित दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के अनुसार होगा।

एल) उपर्युक्त कारणों के निमित्त बोर्ड को निर्गम के निबंधनों को निर्धारित करने हेतु पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने से संबंधित एक सक्षमकारी संकल्प पारित किया जाना प्रस्तावित है।

एम) आबंटित इक्विटी शेयर, सर्वतोभवेन बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के सम मात्रा में होंगे।

एन) इस उद्देश्य हेतु बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः आपसे उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए सहमति का अनुरोध है।

ओ) बैंक या इसके कोई भी निदेशक या प्रवर्तक में से कोई भी इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

पी) बैंक के निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिशतेदारों का केवल बैंक की शेयरधारिता में उनकी हिस्सेदारी के अलावा, संलग्न नोटिस की कार्यसूची मद संख्या *7* में यथानिर्धारित विशेष संकल्प से हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.अ.

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 20 मई, 2025

Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Ninteenth Annual General Meeting** of Shareholders of Indian Bank will be held on Tuesday, **the 17th June, 2025 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Agenda Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2025, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Agenda Item No. 2:

To declare dividend on Equity Shares of the Bank.

Special Business:

Agenda Item No. 3: To approve appointment of Shri Binod Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) of the Bank

To consider and if thought fit, pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, appointment of Shri Binod Kumar, as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide GOI Gazette Notification No. eF. No. 4/4(ii)/2023-BO.I dated 16th January 2025 for a period of three (03) years with effect from 16.01.2025 (the date of assumption of office), or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Agenda Item No. 4: To approve appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director of the Bank

To consider and if thought fit, pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel, as Part-time Non-Official Director of the Bank under

Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide GOI Gazette Notification No. eF. No. 6/1(iii)/2024-BO.I dated 11th April 2025 for a period of one (01) year with effect from 11.04.2025 (the date of notification), or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Agenda Item No. 5: To approve appointment of Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director of the Bank

To consider and if thought fit, pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, appointment of Shri Balmukund Sahay, as Part-time Non-Official Director of the Bank under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide GOI Gazette Notification No. eF. No. 6/1(iv)/2024-BO.I dated 11th April 2025 for a period of one (01) year with effect from 11.04.2025 (the date of notification), or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Agenda Item No. 6: To approve appointment of M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30

To consider and if thought fit, pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries (Firm Registration No LLPIN: AAJ-0071) as recommended by the Board of Directors of the Bank, be and is hereby appointed as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

Agenda Item No. 7: To raise equity capital aggregating upto Rs. 5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof.

To consider and if thought fit, pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations,1999 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations"), as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10.00 (Rupees ten only) each or of such face value as may be prevailing/determined at the time of issuance of securities/shares, aggregating to not more than Rs. 5000 crore (Rupees five thousand crore only) being within the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 52.00% of the paid up equity capital of the Bank, whether at a premium or at a discount to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies-private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer and allotment shall be either by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), Follow on Public Issue, Rights Issue or in combination thereof with or without over allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and wherever necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Foreign Exchange

Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019, as amended and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52.00% of the paid up Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in SEBI ICDR Regulations) pursuant to Qualified Institutions Placement, as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/ writings/circulars/ memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutions Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations.

(a) the allotment of securities shall be made to Qualified Institutional Buyers only as defined under SEBI ICDR Regulations and such securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.

(b) the Bank is, pursuant to proviso under Regulation 176 (1) of the SEBI ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

(c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs, FPIs and/or other eligible foreign investors pursuant to this resolution be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker (s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Legal Advisor(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such other agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Banker (s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Legal Advisor (s), Underwriter (s) and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue (s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of these Resolutions.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution (s).”

By Order of the Board of Directors

Sd/-

(Binod Kumar)

Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 20th May 2025

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT (S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. HOLDING OF ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-AGM"):

(a) Pursuant to various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and by Securities and Exchange Board of India with regard to holding of Annual General Meetings through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The deemed venue of the AGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Chennai.

(b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank will ensure sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.

(c) Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, and also for participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM.

(d) In line with SEBI and MCA circulars/guidelines, the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2024-25 will be made available on the website of the Bank at www.indianbank.in as well as on the website of the Stock Exchanges namely BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com .

(e) As the AGM will be held through VC/OAVM facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.

(f) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://investors.cameoindia.com and get the soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report by sending request for the same.

3. VOTING RIGHTS:

In terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

4. APPOINTMENT OF PROXY:

Since the AGM will be held through VC/OAVM, where physical attendance of shareholders in any case has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies in terms of extant MCA/ SEBI guidelines. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the shareholders will not be available for the AGM and accordingly, instrument for appointing proxy is not being attached with this AGM Notice.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to investors@indianbank.co.in, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank, i.e. upto 5:00 pm on **13th June 2025.**

6. RECORD DATE AND BOOK CLOSURE:

Record Date for payment of dividend will be **Tuesday, 10th June 2025.**

The Register of Shareholders and the Share Transmission Books of the Bank will remain closed **from Wednesday, the 11th June 2025 to Tuesday, the 17th June 2025** (both days inclusive) for the purpose of 19th AGM and Dividend payment.

7. PAYMENT OF DIVIDEND:

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

(a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on **Tuesday, the 10th June, 2025,** as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and/or

(b) in the Register of shareholders as on **Tuesday, the 10th June, 2025** after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form.

Dividend warrants to those shareholders who have not opted for credit of their dividend through National Automated Clearing House (NACH) would be sent by the Bank through

Registrar and Share Transfer Agent viz. Cameo Corporate Services Ltd. before the date of payment of dividend.

The shareholders who have opted for credit of their dividend through NACH/electronic credit, will be paid dividend through NACH by directly crediting the dividend amount to their Bank account. In case of failure/ return of NACH, the dividend warrants will be issued to the respective shareholders.

The payment of dividend is subject to necessary approval/direction from the Govt. of India. **The dividend payment date will be 10th July 2025.**

8. PAYMENT OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM (SHARE CERTIFICATE):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank’s Dividend Account unless complete documents/ details including proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank’s RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).

In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/ Bank’s RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

9. TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS) ON DIVIDEND:

Shareholders may note that pursuant to the changes in the Income Tax Act,1961 (‘the Act’) as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders and the Bank is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend to shareholders at the prescribed rates. The tax deduction / withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the exemptions as enumerated in the Act subject to fulfilling the documentary requirements.

Shareholders having total income below the taxable limit, are requested to submit Form 15G (applicable to an individual below the age of 60 years) / 15H (applicable to an individual of the age of 60 years and above), to the Bank at e-mail ID investors@indianbank.co.in or to Bank's RTA at e-mail ID:investor@cameoindia.com / agm@cameoindia.com for claiming exemption from TDS deduction.

Kindly note that no communication/documents on the tax determination / deduction shall be considered if the same is not received by the Bank on or before the close of Business Hours i.e. 5.00 pm on 30th June 2025.

10. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, Attendance Slip-cum Entry Pass will not be required to attend the AGM.

11. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address: -

Cameo Corporate Services Limited
(Unit: Indian Bank)
Subramanian Building No.1,
Club House Road
Chennai - 600 002
Tele: - 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)
Email: investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investor Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

General Manager- CFO Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 Telephone No: 044-28134563 E-mail: cfo@indianbank.co.in	The Asst. General Manager & Company Secretary Indian Bank, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 Telephone No: 044-28134698 Email: investors@indianbank.co.in

12. UNPAID / UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No. F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the dividend amount of the Bank which remained unpaid/ unclaimed for seven years have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government in compliance of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for Financial Year 2020-21 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with their Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to them through NEFT/Direct Credit. For FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20, no dividend was declared by the Bank.

Further, in terms of the Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules.

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund, shall be entitled to claim the transfer from the said Fund, in accordance with the rules made under section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013."

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in

13. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT:

(a) For payment of dividend, declared if any, the Bank details registered with the NSDL/CDSL are downloaded by RTA from the respective Depository.

Accordingly, shareholders holding shares in electronic form are requested to update their Bank details through their respective Depository Participant ("DP"). Indian Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form/demat account for any change of Bank particulars or Bank mandates or recorded address. Request for such changes, if any, have to be taken up by the shareholders with their respective Depository Participant, where they are maintaining their Demat Account.

(b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Ltd. at the address mentioned herein before:

(i) For Change of Address- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a valid documentary proof.

(ii) For Change/Updation of Bank Details- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a cancelled cheque leaf bearing details like A/c No., MICR code, IFSC Code and name printed thereon.

(c) While making any correspondence either with the Bank or Bank's RTA, shareholder(s) must quote their respective folio number/s in case shares are held in physical form (Share Certificate) or DP Id & Client Id in case shares are held in electronic form (demat account).

14. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Tuesday, the 10th June, 2025** (Cut-Off Date fixed for the purpose).

15. DISPATCH OF AGM NOTICE AND ANNUAL REPORT:

In line with extant SEBI and MCA circulars/guidelines, copies of the Notice of 19th AGM and the Annual Report of the Bank for FY 2024-25 shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in Shareholders Record of the Bank.

Notice of AGM and Annual Report of the Bank for FY 2024-25 will also be made available on the Bank's website www.indianbank.in and in the website of CDSL, the e-voting agency at www.evotingindia.com.

16. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE HOLDINGS:

In compliance of extant SEBI norms, the Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further transmission/ transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. Accordingly, the shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to get their shares dematerialized to eliminate all risks associated with physical shares. Dematerialization of shares also add to liquidity and the shareholder will be able to sell the shares as per his/her convenience through a Demat Trading Account linked to his/her Demat Account.

The indicative process for dematerialization of physical shares (Share Certificates) is as under:

(a) Shares can be held in dematerialized (demat) form in National Securities Depository Ltd. (NSDL) or Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). NSDL and CDSL are depositories where the shares/securities of an investor/shareholder are held in electronic form through the medium of Depository Participants (DPs).

(b) For getting the shares dematerialized, the shareholder will have to open a Demat Account with a Stock Broking Company or Bank offering Demat Services. Our Bank is also offering Demat Services through its subsidiary, Indbank Merchant Banking Services Ltd., (IBMBS). For further details, please log on to IBMBS website www.indbankonline.com.

(c) After opening a Demat Account, the shareholder will have to surrender the Original Share Certificate(s) along with filled in and signed Demat Requisition Form (DRF) to his/her DP with whom he/she has opened his/her Demat Account.

(d) The concerned DP will process the dematerialization request and after completion of verification of documents, number of shares as per the respective share certificate(s) gets credited in the Demat Account of the concerned shareholder.

17. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner.

18. PROCESS AND MANNER OF E-VOTING:

The instructions for Shareholders for voting electronically are as under: -

Step 1: Access through Depositories CDSL/ NSDL e-voting system in case of shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) – **Agenda item No. 1:** To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2025, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. **Agenda item No. 2:** To declare dividend on Equity Shares of the Bank **Agenda item No. 3:** To approve appointment of Shri Binod Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank. **Agenda Item No. 4**: To approve appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director of the Bank. **Agenda Item No. 5**: To approve appointment of Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director of the Bank.	250514004

Agenda Item No. 6: To approve appointment of M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30. **Agenda Item No. 7**: To raise equity capital aggregating upto Rs. 5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof.	

(a) The voting rights of Shareholder(s) /Beneficial Owner(s) shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Tuesday, the 10th June, 2025** (Cut off date fixed for the purpose).

(b) The remote e-voting period will begin at **09.00 a.m. (IST) on Friday, the 13th June 2025 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Monday, the 16th June 2025.** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut off date i.e. 10th June 2025 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting remotely thereafter.

(c) The e-voting facility will also be made available during AGM. However, the shareholders who had already cast their votes through remote e-voting will not be eligible to vote during the AGM.

(d) SEBI vide their circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020 advised as under:

(i) Under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

(ii) Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

(iii) In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(e) In terms of SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to aforesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding shares/ securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	(1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select My Easi New (Token) Tab. (2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies/ Banks where the e-voting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. (3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com. Click on login & My Easi New (Token) Tab & then click on registration option. (4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	(1) If user is already registered for NSDL IDeAS facility, he/she is required to visit the e-Services website of NSDL and Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. User will have to enter User ID and Password. After successful authentication, he/she will be able to see e-Voting services. User will be required to Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and he/she will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider name and he/she will be re-directed to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

	(2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp (3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. User will have to enter his/her User ID (i.e. sixteen digit demat account number holding with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	User can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, he/she will be able to see e-voting option. Once the user clicks on e-voting option, user will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-voting feature. Click on company/Bank name or e-voting service provider name and he/she will be redirected to e-voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: *Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.*

Helpdesk details for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no.: 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free No.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000

(f) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding shares in Demat form.

- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- Click on “Shareholders” module.
- Now enter your User ID
  - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- Enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.
- If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form other than individual
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) *Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.*
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Company/Bank records in order to login. *If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the shareholder id / folio number in the Dividend Bank details field*

- After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company/ Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat account holders for voting on resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN for the relevant <Company/Bank Name> on which you choose to vote.
- On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- ➢ Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- ➢ After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- ➢ Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ➢ You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote e-Voting

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & will be delink in case of any wrong mapping.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; investors@indianbank.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

19. <u>VOTING AT / DURING THE AGM</u>:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item(s). Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The shareholder(s)/ Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM can exercise their votes through e-voting process during AGM. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the e-voting process during the Meeting.

20. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR ATTENDING MEETING THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE AGM:

(a) The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.

(b) The Shareholders can join the AGM throguh VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation in the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

(c) The link to attend meeting through VC/AOVM, will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.

(d) Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote during AGM.

(e) Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.

(f) Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

(g) Please note that Participants Connecting through Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

(h) Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance **on or before 12th June 2025** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **on or before 12th June 2025** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

(i) **Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.**

(j) Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the Agenda items/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

(k) If any Votes are cast by the shareholders through e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

(l) The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum.

Process for those shareholders whose e-mail Ids / mobile No. are not registered in shareholder record of the Bank / Depositories:

(a) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at email id investor@cameoindia.com.

(b) For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP)

(c) For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meeting through Depository.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting through CDSL e-Voting System, the Shareholder can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL (Central Depository Services (India) Limited), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

21. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Results of the voting during the meeting aggregated with the results of Remote e-Voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges, i.e. NSE & BSE.

EXPLANATORY STATEMENT(S):

Agenda Item No.3: To approve appointment of Shri Binod Kumar, MD & CEO of the Bank

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide Gazette Notification No. eF. No. 4/4(ii)/2023-BO.I dated 16th January 2025 has appointed Shri Binod Kumar, Executive Director, Punjab National Bank as Managing Director & Chief Executive Officer of Indian Bank, for a period of three (03) years with effect from 16.01.2025 (Date of assumption of charge of the post), or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier.

Shri Binod Kumar assumed office of MD & CEO of the Bank on 16th January 2025.

Brief Profile of Shri Binod Kumar, MD & CEO:

Shri Binod Kumar is a Graduate in Science from Ranchi University and holds Post Graduate Diploma in Banking & Finance from NIBM. Financial Risk Manager (FRM) from GARP (USA) and a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). Shri Binod Kumar has Diploma in Treasury Investment & Risk Management, Banking & Finance by IIBF and Leadership Skill Development Program from IIM Bangalore.

Shri Binod Kumar started his banking journey in Punjab National Bank as Management Trainee in the year 1994 and elevated to Executive Director of Punjab National Bank on 21.11.2022.

He has rich and diversified banking experience of more than 30 years, ranging from Branch and Administrative Office to Risk Management, Credit etc. He has also headed BO:DIFC, Dubai as Chief Executive Officer and the Corporate Credit Division , Head Office of Punjab National Bank as Chief General Manager.

He has also served as the Nominee Director on behalf of PNB on the Board of PNB Housing Finance Limited and India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC).

Remuneration / Compensation to Shri Binod Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer is as decided by the Government of India.

Shri Binod Kumar, MD & CEO, is Director in only one Listed Entity, i.e. Indian Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, approval of appointment of Shri Binod Kumar, MD & CEO of the Bank is sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Binod Kumar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No.3 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 4: To approve appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director of the Bank

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide Gazette Notification No. eF. No. 6/1(iii)/2024-BO.I dated 11th April 2025 re-nominated Shri Vishvesh Kumar Goel as Part-time Non-Official Director on the Board of Directors of Indian Bank for a period of one (01) year with effect from date of notification, i.e, 11.04.2025, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier.

Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director assumed office on 11th April 2025 i.e. from date of notification.

Brief Profile of Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director

Shri Vishvesh Kumar Goel was Part-time Non-Official Director of our Bank for a period of three years, i.e. from 21.12.2021 to 20.12.2024. The Central Govt. vide Gazette notification dated 11.04.2025 re-nominated him as Part-Time Non Official Director of our Bank for a period of one year with effect from 11.04.2025.

He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds Bachelor degree in Commerce from Meerut University

He has experience of more than 30 years in direct taxation, international transaction advisory, Legal opinions, Expatriate Taxation etc. He also has extensive experience in Assurance Services, serving listed Indian and Multinational clients in various industries.

He has worked under various GAAPs (including USGAAP, IFRS, Ind AS, etc.). He is founder trustee of Eminent Educational Institute.

He is an active participant in public seminars on direct taxation, training and other motivational programs.

Being a Part-time Non-Official Director, no Remuneration/Compensation is being paid by the Bank to Shri Vishvesh Kumar Goel except Sitting fees.

Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director, is Director in only one Listed Entity, i.e. Indian Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, approval of appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director of the Bank is sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Vishvesh Kumar Goel, or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No. 4 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 5: To approve appointment of Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director of the Bank

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide Gazette Notification No. eF. No. 6/1(iv)/2024-BO.I dated 11th April 2025 re-nominated Shri Balmukund Sahay as Part-time Non-Official Director on the Board of Directors of Indian Bank, for a period of one (01) year with effect from date of Notification, i.e. 11.04.2025 ,or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier.

Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director assumed office on 11th April 2025 i.e from date of notification.

Brief Profile of Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director

Shri Shri Balmukund Sahay was Part-time Non-Official Director of our Bank for a period of three years, i.e. from 21.12.2021 to 20.12.2024. The Central Govt. vide Gazette notification dated 11.04.2025 re-nominated him as Part-Time Non Official Director of our Bank for a period of one year with effect from 11.04.2025

Shri Balmukund Sahay is a post graduate in Commerce from Ranchi University.

He was an active member of Jharkhand State Transport Authority from 2001 to 2004 and member of Jharkhand State Level 20 Points Programme Committee from 2016 to 2019. As a member of Jharkhand State Transport Authority, he had a role to promote rural economy and improve transportation sector.

He is a social activist and as a member of Jharkhand State Level 20 Points Programme Committee, he was focusing on encouraging Agriculture, Rural Economy, Small Scale Industries & Information Technology and alternative dispute resolution. Poverty alleviation, facilitating government schemes to beneficiaries were also his subject of interest.

Being a Part-time Non-Official Director, no Remuneration/Compensation is being paid by the Bank to Shri Balmukund Sahay except Sitting fees.

Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director, is Director in only one Listed Entity, i.e. Indian Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, approval of appointment of Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director of the Bank is sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Balmukund Sahay, or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No. 5 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No. 6: To appoint M/s Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a period of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30

Pursuant to Regulation 24A (1) (a) of SEBI (LODR) Regulation, 2015, every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India is required to undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and annex with its Annual Report, a Secretarial Audit Report in prescribed format.

GOI vide Gazette Notification No. CG-MH-E-13122024-259393 dated 12.12.2024, amended the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 including Regulation 24A pertaining to Secretarial Audit.

In terms of amended provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a listed entity shall on the recommendation of its Board of Directors appoint or re-appoint:

(i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or
(ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years

with the approval of its shareholders in its Annual General Meeting.

Accordinlgy, the Board of Directors of the Bank in its meeting held on 19.05.2025 has accorded approval for appointment of M/s Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30 at a consolidated fee/ remuneration of Rs.8,50,000.00 (excluding GST) for five years, plus applicable taxes (first year fee Rs.1,40,000 plus Taxes), payable on year on year basis, subject to approval of Shareholders in AGM.

M/s Shanmugam Rajendran & Associates LLP has wide experience in Corporate Law, Securities Laws, Banking, NBFC, FEMA etc. The range of services include Incorporation of Companies, Societies, Trusts and Section 8 Companies, Business Strategies, Business Reorganisation / Restructuring, Consultation and advisory services, all statutory Compliances, Secretarial Audit, Due diligence, NCLT applications for compounding, DP Audit, Training Programs for Corporates, etc.

Continuity of Secretarial Auditor will depend on its satisfactory performance and the Bank shall conduct an annual review to access the performance of the Secretarial Auditor. If the performance of the Secretarial Auditor is not satisfactory, the Bank is having the right to remove Secretarial Auditor.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in item No. 6 of the accompanying Notice of AGM.

Agenda Item No.7: To raise equity capital aggregating upto Rs. 5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof

(a) Capital is a continuing requirement for the Bank to support its growth and to comply with the various regulations prescribed by Reserve Bank of India from time to time.

(b) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 03rd May 2025 has approved for raising equity capital of the Bank aggregating upto Rs.5000 crore (including premium) through the different available options subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

(c) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital through QIP /FPO/Rights Issue or in combination thereof in one or more tranches, based on the prevailing market conditions.

(d) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

(e) In terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, the Bank will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

(f) The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(g) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public Issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time and will be growth Capital for the Bank.

(h) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(i) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

(j) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(k) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

(l) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

(m) The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the then existing equity shares of the Bank.

(n) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

(o) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

(p) None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 7 of the accompanying Notice except to the extent of their shareholding in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 20th May 2025